

विचार बिन्दु

घृणा हृदय का पागलपन है। –बायरन

सोनम वांगचुक के जेल में बिताए 170 दिन का हिसाब कौन देगा?

14 मार्च 2026 को भारत सरकार ने अचानक यह निर्णय लिया कि लद्दाख के प्रमुख पर्यावरण विद् और सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक पर लगाए गए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के मुकदमे को वापस ले लिया जाए एवं उन्हें तत्काल रिहा कर दिया जाए।

उच्चतम न्यायालय में हर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने यह तर्क दिया कि सोनम वांगचुक देश द्रोही है एवं वे देश विरोधी भडकाऊ भाषण देते रहे हैं। अतः उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत जेल में रखना आवश्यक है।

यह उल्लेखनीय है कि 26 सितंबर 2025 को स्थानीय पुलिस द्वारा अचानक सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया एवं उनके ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगा दिया गया। इस कानून के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को बिना जमानत के एक वर्ष तक रखा जा सकता है। इस कार्रवाई के विरुद्ध सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो ने सुप्रीम कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की। अब तक 24 बार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई एवं इनमें से कई बार सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो स्वयं भी उपस्थित रही।

मैंने इसी समाचार पत्र में 7 अक्टूबर, 2025 को संपादकीय में सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के समय एक लेख लिखा था। उस लेख में विस्तार से इस बात का उल्लेख किया गया था कि सोनम वांगचुक को कितने प्रकार के सम्मान पर्यावरण, शिक्षा और विज्ञान के क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए उन्हें मिल चुके हैं और कैसे सरकार ने स्वयं उनको सम्मानित किया है।

सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद और उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाए जाने पर उनकी पत्नी गीतांजलि अंगमो ने सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून उन पर लगाए जाने को भी चुनौती दी। सर्वोच्च न्यायालय में केंद्र सरकार लगातार यह कहती रही कि कि वांगचुक की गतिविधियां राष्ट्र विरोधी थीं और वे राष्ट्र को खंडित करने का कार्य कर रहे थे। सरकार की ओर से अनेक दस्तावेज और उनके भाषण आरोपों के समर्थन में प्रस्तुत किए गये। अतः उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया जाना बहुत उचित था। प्रारंभ में गीतांजलि को जोधपुर जेल में अपने पति से मिलने की अनुमति भी नहीं मिली, जो बाद में उच्चतम न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद संभव हो पाई।

केंद्र सरकार और मीडिया ने चार-पांच माह तक लगातार इस प्रकार का वातावरण बनाया जैसे सोनम वांगचुक देश को तोड़ने के काम में लगे हुए थे और 24 सितंबर का जो हिंसा लद्दाख में भड़की, जिस में चार निर्दोष छात्रों की मृत्यु हुई, उसकी जिम्मेदारी भी उन्हीं की थी।

सोनम वांगचुक की केवल एक ही ललती थी कि वे भारतीय जनता पार्टी को उनके खुद के द्वारा किए गए वादे को याद दिला रहे थे। भाजपा ने चुनाव के घोषणा पत्र में साफ लिखा था कि लेह लद्दाख को अलग राज्य बनाया जाएगा और उसे संविधान की छठवीं अनुसूची में सम्मिलित किया जाएगा। यह इसलिए आवश्यक था कि लद्दाख सीमावर्ती क्षेत्र है और पर्यावरण दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण भी है। वहां के लोगों की आजीविका का प्रमुख साधन पशुपालन है। यदि लद्दाख को छठवीं अनुसूची में शामिल कर लिया जाता तो वहां की भूमि के निस्तारण के संबंध में स्थानीय लोगों की भूमिका बढ़ जाती है। शायद यही कारण था कि केंद्र सरकार इसे न तो राज्य बनाना चाहती थी और न ही उसे छठवीं अनुसूची में सम्मिलित करना चाहती थी। जब केंद्र सरकार द्वारा अपने स्वयं के वायदे पूरे नहीं किया जा रहे थे तो लद्दाख के लोगों के पास आंदोलन करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। सोनम वांगचुक इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे और यह आंदोलन पूर्णतया अहिंसक था। युवा पीढ़ी के सब्र की भी एक सीमा होती है। दिनांक 24 सितंबर, 2025 को पुलिस द्वारा आंदोलनरत युवाओं पर बल प्रयोग किया गया जिसके बाद हिंसक घटनाएं हुईं। पुलिस की गोली से चार युवाओं की मौत हो गई। जैसे ही अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक को इसके बारे में पता लगा, उन्होंने अपना अनशन तत्काल समाप्त किया और लोगों से आंदोलन को अहिंसक बनाए रखने की अपील की। वे महात्मा गांधी के रास्ते पर चलने की बात सदैव अपने ह्र् संबोधन में करते रहे। इस सबके बाद क्या सोनम वांगचुक पर हिंसा भडकाने और देश की सुरक्षा को खतरा पहुंचाने का आरोप लगाया जा सकता था?

स्थानीय जिला प्रशासन, जिसमें जिला मजिस्ट्रेट, जिला पुलिस अधीक्षक व अन्य अधिकारी सम्मिलित हैं, ने पूरा निराधार प्रकरण बनाते हुए वांगचुक को अचानक गिरफ्तार कर जोधपुर जेल भेज दिया। जब सुप्रीम कोर्ट ने कई सुनवाईयों के पश्चात जिन वीडियो के आधार पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया गया उन्हें देखने एवं उन्हें प्रस्तुत करने के लिए 17 मार्च को अंतिम तिथि दी, तो सरकार को लगा कि उनके झूठे मुकदमे की पोल शायद खुलने वाली है। सरकार ने आनन फानने में, सुप्रीम कोर्ट की डॉट-फटकार से बचने के लिए एवं उच्चतम न्यायालय द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को निरस्त

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में हुई देरी भी अक्षम्य है। यदि सुप्रीम कोर्ट प्रारंभ में ही उन दस्तावेजों को देख लेता, जिनके आधार पर केस बनाया गया तो शायद 6 माह तक वांगचुक को जेल में बंद नहीं रहना पड़ता। विलंब से हुआ न्याय, अन्याय से काम नहीं है। यही बात वांगचुक के प्रकरण में लागू होती है।

किए जाने की शर्मिंदगी से बचने के लिए 14 मार्च, 2026 को अचानक भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने सोनम वांगचुक के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का मुकदमा वापस लेते हुए उन्हें जोधपुर जेल से रिहा करने के आदेश दे दिए। उन्हें रिहा कर भी दिया गया है।

सोनम वांगचुक की तो रिहाई हो गई है, किंतु इस प्रकरण से कुछ प्रश्न अवश्य उत्पन्न होते हैं, जिन पर विचार करना आवश्यक है।

ऐसा कहा जाता है कि पुलिस किसी के भी विरुद्ध केस बना सकती है। कई बार प्रतिबंधित वस्तुएं जैसे अफीम आदि को किसी के घर में स्वयं रखकर, उसे वहां से बरामद दिखाते हुए, लोगों को फंसा लेती है। इस प्रकार की मनोविधि, अब सरकार द्वारा उन लोगों के विरुद्ध काम में ली जाने लगी है जो सरकार का विरोध करते हैं। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार के निर्णय का विरोध करने के कारण किसी के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जैसा कड़ा कानून लगा देना, किसी भी दृष्टि से उपयुक्त नहीं कहा जा सकता है। यह न केवल गैर कानूनी है अपितु अनैतिक भी है।

सरकार यह बहाना ले सकती है कि यदि वह निर्णय है तो अदालत द्वारा बरी कर दिया जाएगा, किंतु जब तक अदालत द्वारा निर्णय होगा तब तक कई महीने और साल निकल चुके होंगे। यदि उसके बाद वह निर्दोष सिद्ध हो भी गया तो संबंधित व्यक्ति द्वारा जितना समय जेल में बताया गया और जितनी प्रताड़ना उसे जेल में झेलनी पड़ी, उसकी भरपाई कोई भी कैसे कर पाएगा?

पूरी ट्रायल चलने के बाद तो कई लोग बरी होते हैं, किंतु जो केस प्रारंभिक स्तर पर ही गलत बनाया गया हो और उसे निराधार मान कर आरोपी को न्यायालय द्वारा दोषमुक्त घोषित कर दिया जाय तो यह निष्कर्ष निकालना गलत नहीं होगा कि उस व्यक्ति को गलत रूप से फंसाने की कार्रवाई की गई है। इस प्रकार की कार्रवाई सामान्यतः विपक्षी दलों के नेताओं पर होती हुई देखी जा रही है या उन लोगों पर होती हुई देखी जा रही है जो सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता हैं किंतु सत्ताधारी दल की विचारधारा के विरोध में काम करते हैं। क्या वैचारिक स्तर पर अलग विचार रखना, किसी लोकतंत्र में अपराध मान लिया जाएगा? इसी प्रकार की कार्यवाही उस समय भी देखी गई थी जब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विरुद्ध किसी भूमि के प्रकरण में सीबीआई ने मुकदमा दर्ज किया और न्यायालय ने प्रारंभिक सुनवाई में ही यह मान लिया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का इस भूमि से कोई लेना देना नहीं था। चुनाव से पहले किसी निर्वाचित मुख्यमंत्री के विरुद्ध इस प्रकार की कार्रवाई करना नितांत अनुचित था। अरविंद केजरीवाल पर भी शराब कांड के नाम पर ईडी, सीबीआई आदि में प्रकरण दर्ज किए गए किंतु न्यायालय ने यह माना कि उनके विरुद्ध आरोप निर्धारित होने लायक भी प्रकरण नहीं है। किंतु ऐसा मानने में जो समय निकल गया, उसके कारण जो मीडिया में ट्रायल हुआ और छवि को जो क्षति पहुंची, उसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से संभव नहीं है।

सोनम वांगचुक के प्रकरण में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं था। उन्होंने अपने भाषणों में केवल यह कहा था कि यदि सरकार समय पर कार्रवाई नहीं करेगी तो वैसी स्थिति बन सकती है जैसी नेपाल या बांग्लादेश में बनी थी। केवल यह कह देने से, यह निष्कर्ष निकालना कि वह हिंसा के लिए भडका रहे थे और देश को विभाजित करने की बाद कर रहे थे, सही नहीं है। इससे कहीं अधिक उतेजनात्मक एवं समाज को तोड़ने वाले भाषण तो सत्ताधारी दल के बहुत से नेता और तथाकथित धर्म गुरु भी निरंतर देते रहे हैं किंतु उनके विरुद्ध सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती क्योंकि वे सत्ताधारी दल से संबंधित हैं।

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में हुई देरी भी अक्षम्य है। यदि सुप्रीम कोर्ट प्रारंभ में ही उन दस्तावेजों को देख लेता, जिनके आधार पर केस बनाया गया तो शायद 6 माह तक वांगचुक को जेल में बंद नहीं रहना पड़ता। विलंब से हुआ न्याय, अन्याय से काम नहीं है। यही बात वांगचुक के प्रकरण में लागू होती है। उनकी पत्नी को स्वयं अच्छी पर्यावरण विद् हैं, ने किस प्रकार 170 दिनों तक सामाजिक और कानूनी प्रताड़ना झेली है, यह वही जानती है। वांगचुक द्वारा जेल में बिताए गए 170 दिनों की क्षतिपूर्ति कौन और कैसे करेगा? क्या सरकार वांगचुक से सार्वजनिक माफी मांगेगी? जिन अधिकारियों ने झूठा प्रकरण बनाया और वांगचुक को जेल में रखा और फिर भी अपनी गलत बात पर खड़े रहे, उनके विरुद्ध क्या आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाएगा तथा ऐसा करने का दुस्साहस भविष्य में किसी को ना हो?

आशा की जानी चाहिए कि सोनम वांगचुक के प्रकरण से सबक लेते हुए सरकार अब किसी भी व्यक्ति को झूठे केस में फंसेने की सोच से बचेगी और केवल राजनीतिक विरोधियों को ठिकाने लगाने के लिए अपने अधिकारों का दुरुपयोग नहीं करेगी। इसी प्रकार अधिकारी भी केवल राजनीतिक आकाओं को इच्छा के अनुसार सभी अनुचित काम करने के लिए अब शायद तैयार न हों। उनसे अपेक्षा है कि वे संविधान एवं कानून की भावना के अनुसार काम करें।

सरकार ने केवल अपनी ताकत दिखाने के चक्कर में लद्दाख जैसे शांत क्षेत्र को हिंसा की ओर धकेल दिया और वांगचुक जैसे देशभक्त, पर्यावरण विद् और शिक्षाविद् को जेल के सीखचों के पीछे डाल दिया। इस सबके बावजूद गीतांजलि ने धैर्य का परिचय दिया और ऐसा कोई बयान नहीं दिया जिससे हिंसा को फैलाने का अवसर मिले।

केंद्र सरकार को चाहिए कि वह शीघ्र ही लद्दाख को राज्य बनाकर छठवीं अनुसूची में डालें ताकि व्यावसायिक, विस्तारवादी सोच के लोग वहां के पर्यावरण को नष्ट करके पशुपालकों की भूमि को हथियाने की कार्रवाई न कर सकें।

–अतिथि सम्पादक,
राजेन्द्र भागवत (पूर्व आई.ए.एस. अधिकारी)



बाबूलाल खराड़ी

राजस्थान अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विविधता और ऐतिहासिक विरासत के लिए जाना जाता है। इस विविधता में जनजातीय समाज की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। लंबे समय तक भौगोलिक दूरी, सीमित संसाधनों और सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों के कारण यह समाज विकास की मुख्यधारा से कुछ हद तक दूर रहा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने जनजातीय क्षेत्रों के समग्र विकास को प्राथमिकता देते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, संस्कृति संरक्षण और पर्यटन के क्षेत्रों में अनेक महत्वपूर्ण पहलें शुरू की हैं। इन पहलों का उद्देश्य जनजातीय समाज को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना भी है।

किसी भी समाज के विकास की आधारशिला शिक्षा होती है। इसी दृष्टि से जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा के विस्तार के लिए आश्रम छात्रावासों, आवासीय विद्यालयों और एकलव्य मॉडल विद्यालयों का व्यापक नेटवर्क विकसित किया है। वर्तमान में प्रदेश में 445

आश्रम छात्रावास, 13 खेल अकादमी, 13 कॉलेज छात्रावास और 57 आवासीय विद्यालय संचालित हो रहे हैं, जिनमें लगभग 46500 हजार से अधिक जनजातीय छात्र-छात्राएं अध्ययन कर रहे हैं। इसके साथ ही 3267 माँ-बाड़ी केंद्रों के माध्यम से करीब 90 हजार बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान की जा रही है।

शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार ने छात्र-छात्राओं के लिए मिलने वाले मैस भत्ते में भी वृद्धि की है। छात्रावासों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए यह राशि 2500 रुपये को बढ़ाकर 3250 रुपये प्रतिमाह किया गया है। खेल अकादमियों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों के लिए भत्ता 2600 रुपये से बढ़ाकर 4000 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। शैक्षणिक उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करने के लिए कक्षा 10वीं और 12वीं में 80 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले जनजातीय विद्यार्थियों की प्रोत्साहन राशि 5000 रुपये कर दी गई है। इसके अलावा और जैसी प्रतिस्पर्धी परीक्षाएं उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों के लिए प्रोत्साहन राशि 8000 रुपये तथा और परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों के लिए 10 हजार रुपये निर्धारित किए गए हैं।

इन प्रयासों का उद्देश्य जनजातीय युवाओं को उच्च शिक्षा और पेशेवर क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना है। बाल विकास और पोषण को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार ने 244 नए माँ-बाड़ी केंद्र स्थापित किए हैं। इन केंद्रों के माध्यम से छोटे बच्चों को पोषण और प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही यहाँ कार्यरत कर्मचारियों के

मानदेय में लगातार दो वर्षों से 10-10 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि की गई है। स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता जनजातीय क्षेत्रों में हमेशा एक चुनौती रही है। इस समस्या के समाधान के लिए एक अभिनव पहल के रूप में पारंपरिक जड़ी-बूटी विशेषज्ञों या ‘गुणीजनों’ को स्वास्थ्य व्यवस्था से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू की गई है। इन्हें प्रशिक्षित कर आधुनिक चिकित्सा संस्थानों से जोड़ा जा रहा है ताकि वे मरीजों और डॉक्टरों के बीच सेतु का कार्य कर सकें। टेलीमैडिसिन की सहायता से दूरस्थ क्षेत्रों के मरीजों को विशेषज्ञ चिकित्सकों से परामर्श उपलब्ध कराया जा रहा है। उदयपुर, सिरोही और बांसवाड़ा जिलों में इस मॉडल का पायलट रूप से क्रियावाचन किया जा रहा है।

जनजातीय समाज की आजीविका का प्रमुख आधार कृषि, पशुपालन और वनोपज है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार ने कई कार्यक्रम शुरू किए हैं। प्रदेश के 16 लाख 65 हजार जनजातीय किसानों को मुफ्त संकर मक्का बीज वितरित किए गए हैं। पिछले दो वर्षों में 2 लाख 36 हजार मिनीकित भी किसानों को उपलब्ध कराए गए हैं। इसके अतिरिक्त हाइब्रिड सब्जी बीज मिनीकित भी वितरित किए जा रहे हैं।

वन आधारित आजीविका को सुदृढ़ करने के लिए प्रदेश के आठ जिलों में 530 वन घन विकास केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिससे डेढ़ लाख से अधिक महिलाएँ जुड़ी हुई हैं। इन केंद्रों के माध्यम से स्थानीय वनोपज के प्रसंस्करण और विपणन की सुविधा उपलब्ध हो रही है। इससे जनजातीय महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को

नई दिशा मिल रही है। युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए कौशल विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत लगभग 5 हजार जनजातीय युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया गया है। खेलों के क्षेत्र में भी जनजातीय युवाओं ने उल्लेखनीय उपलब्धियाँ हासिल की हैं। हाल ही में एशियन लेक्रोस प्रतियोगिता में जनजातीय खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है।

जनजातीय समाज की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए भी राज्य सरकार ने विशेष पहल की है। बजट में सीध माटी आदि घरोहर प्रलेखन योजना की घोषणा की गई है। इसके अंतर्गत जनजातीय कला, संगीत, चित्रकला, पाक परंपराओं और ऐतिहासिक स्थलों का दस्तावेजीकरण किया जाएगा। उदयपुर स्थित ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट में स्थापित ‘बनकूल डिजाइन स्टूडियो’ के माध्यम से जनजातीय कलाकारों की कलाकृतियों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है। जनजातीय क्षेत्रों को पर्यटन के मानचित्र पर स्थापित करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट के तहत गिरुा सुंदरी मंदिर, मानगढ़ धाम, बेणेश्वर धाम, सीतामता अभयारण्य, ऋषभदेव मंदिर और गौतमेश्वर जैसे धार्मिक-ऐतिहासिक स्थलों को जोड़ा जा रहा है। इससे स्थानीय संस्कृति को वैश्विक पहचान मिलेगी और पर्यटन के माध्यम से रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे, विशेष रूप से बांसवाड़ा और दूंगरपुर जैसे जिलों में। केंद्र और राज्य सरकार को योजनाओं

का समन्वय भी जनजातीय विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत राजस्थान के 37 जिलों के 208 ब्लॉकों के 6019 गांवों में सड़क, आवास, पेयजल, बिजली और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। इसके साथ ही आदि कर्मयोगी अभियान के माध्यम से हजारों कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित कर योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने की व्यवस्था की गई है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर राज्य बजट में भी जनजातीय समाज के कल्याण को प्राथमिकता दी गई है। विशेष रूप से सहरीया, खैरवा और कथौड़ी जनजाति के परिवारों के लिए पोषण सहायता योजना को पारदर्शी बनाते हुए पात्र परिवारों की महिला मुखिया के खाते में प्रतिमाह 1200 रुपये भेजने की व्यवस्था की गई है। वन क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय परिवारों को व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकार पट्टे द्धिकाओं के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

राजस्थान सरकार द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, संस्कृति और पर्यटन के क्षेत्रों में किए जा रहे ये प्रयास जनजातीय क्षेत्रों को विकास की नई दिशा प्रदान कर रहे हैं। योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और स्थानीय समुदाय की सक्रिय भागीदारी से आने वाले वर्षों में जनजातीय क्षेत्र आत्मनिर्भरता और समावेशी विकास का एक सशक्त उदाहरण बन सकते हैं।

बाबूलाल खराड़ी,
जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री, राजस्थान।

राजस्थान के अशांत क्षेत्रों से पलायन रोकने के लिए नया कानून



सूर्यप्रतापसिंह राजawat.

भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता के अधिकार का प्रावधान है, जिसमें भारत के नागरिकों को देश के किसी भी हिस्से में रहने और बसने का अधिकार शामिल है। यह अधिकार पूर्ण नहीं है; बल्कि आम जनता के हित में इस अधिकार के प्रयोग पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। मीडिया में यह व्यापक रूप से बताया गया है कि राजस्थान अचल संपत्ति हस्तांतरण निषेध और अशांत क्षेत्रों में परिसर से किरायेदारों को बेदखल करने से सुरक्षा का प्रावधान अधिनियम, 2026 नामक एक अधिनियम संपत्ति के हस्तांतरण को प्रतिबंधित करने वाला माना जा रहा है।

इस बात पर व्यापक बहस होती रही है कि यह पहला ऐसा कानून है जो संपत्ति के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाता है। लेकिन देश के मौजूदा कानून की

स्थिति यह है कि संपत्ति के उपभोग-जिसमें संपत्ति का हस्तांतरण भी शामिल है-का नियमन संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम (Transfer of Property Act) के साथ-साथ अन्य कानूनों द्वारा भी किया जाता है; इन अन्य कानूनों में संविदा अधिनियम (Contract Act), राजस्थान राजस्व अधिनियम, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम, पंजीकरण अधिनियम आदि शामिल हैं। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति से संबंधित व्यक्तियों के स्वाभिवल वाली किसी भी भूमि को, ऐसे व्यक्तियों को बेचा या हस्तांतरित नहीं किया जा सकता जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित नहीं हैं। इसी प्रकार, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत आने वाली भूमि की प्रकृति में भी कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त, जनजातीय उप-योजना (Tribal Sub-Plan) और गैर-जनजातीय उप-योजना क्षेत्रों के अंतर्गत संपत्ति के हस्तांतरण को विनियमित करने वाले ऐसे प्रावधान भी मौजूद हैं, जिन्हें भारत के संविधान द्वारा भली-भांति मान्यता प्रदान की गई है तथा जिनका नियमन राष्ट्रपति और राज्यपाल के आदेशों द्वारा किया जाता है।

अधिनियम 2026 में एक शब्द है जिसे अशांत क्षेत्र (Disturbed Area) कहा गया है। इस शब्द को लेकर काफी हंगामा मचा हुआ है, मानो यह कोई नया शब्द हो; जबकि यह बात स्थिति यह है कि प्रत्येक जिले के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के कार्यालयों के लिए यह अनिवार्य है कि वे अपने-अपने जिले में संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करने के लिए एक सर्वेक्षण करें। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जनता के हित में कानून-व्यवस्था को बनाए रखा जा सके। संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करने की इस प्रक्रिया का उद्देश्य, पुलिस अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कानून-व्यवस्था को सुरक्षित रखना है, ताकि भारत के माध्यम से राजगार के नए अवसरों के संविधान द्वारा नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकारों का वे निर्बाध रूप से उपभोग कर सकें।

अधिनियम 2026 समाज के एक खास तबके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले एक और तरीके से निपटता है, जो राजस्थान के जनसांख्यिकीय संतुलन और सामाजिक सद्भाव के लिए खतरा पैदा करता है। इसलिए, अधिनियम 2026 का मकसद गलत तरीके से लोगों के एक जगह जमा होने को रोकना है; इसका मतलब है किसी एक समुदाय का जबरदस्ती या मजबूरी में एक ही जगह पर इकट्ठा हो जाना, जिससे संविधान द्वारा पैदा हो सकता है या उन इलाकों का मिश्रित-समुदाय वाला चरित्र खत्म हो सकता है। अधिनियम का मकसद अशांत इलाकों में अचल संपत्तियों के किराएदारों को बेदखली से सुरक्षा देना भी है। भारत के संविधान में बंगाल के नोआखली दंगों का जो चित्रण है-जिसमें महात्मा गांधी शांति स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं-वह हमें

भली-भांति ज्ञात है कि प्रत्येक जिले के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के कार्यालयों के लिए यह अनिवार्य है कि वे अपने-अपने जिले में संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करने के लिए एक सर्वेक्षण करें। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जनता के हित में कानून-व्यवस्था को बनाए रखा जा सके। संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करने की इस प्रक्रिया का उद्देश्य, पुलिस अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कानून-व्यवस्था को सुरक्षित रखना है, ताकि भारत के माध्यम से रोजगार के नए अवसरों के संविधान द्वारा नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकारों का वे निर्बाध रूप से उपभोग कर सकें।

अधिनियम 2026 समाज के एक खास तबके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले एक और तरीके से निपटता है, जो राजस्थान के जनसांख्यिकीय संतुलन और सामाजिक सद्भाव के लिए खतरा पैदा करता है। इसलिए, अधिनियम 2026 का मकसद गलत तरीके से लोगों के एक जगह जमा होने को रोकना है; इसका मतलब है किसी एक समुदाय का जबरदस्ती या मजबूरी में एक ही जगह पर इकट्ठा हो जाना, जिससे संविधान द्वारा पैदा हो सकता है या उन इलाकों का मिश्रित-समुदाय वाला चरित्र खत्म हो सकता है। अधिनियम का मकसद अशांत इलाकों में अचल संपत्तियों के किराएदारों को बेदखली से सुरक्षा देना भी है। भारत के संविधान में बंगाल के नोआखली दंगों का जो चित्रण है-जिसमें महात्मा गांधी शांति स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं-वह हमें

लगातार यह याद दिलाता है कि देश को और अधिक विभाजित करने के किसी भी प्रयास को शुरू में ही कुचल देना आवश्यक है। इस चित्रण पर संविधान सभा के सभी माननीय सदस्यों ने विधिवत हस्ताक्षर किए थे। हम, भारत के लोग, विभाजन की विभीषिका को; गणतंत्र भारत में कश्मीर में हुए रणसंहार को; और राजस्थान के विभिन्न जिलों में सहित भारत के अनेक हिस्सों से बहुसंख्यक समुदाय की आबादी के हो रहे निरंतर सामूहिक पलायन को न तो भूल सकते हैं और न ही हमें भूतना चाहिए। यह सामूहिक पलायन कोई आकस्मिक घटना नहीं है; बल्कि यह एक सोची-समझी योजना का परिणाम है। इसके फलस्वरूप तनावपूर्ण बिक्री (distress sale) की स्थिति उत्पन्न होती है; अतः यह अधिनियम उस सामाजिक बुराई का निवारण करना चाहता है, जिसे सहमति का निर्माण (manufacturing consent)-नाओम चॉमस्की द्वारा गढ़ा गया एक शब्द-के रूप में वर्णित किया जा सकता है। उपर्युक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए, यह कहना कि कलेक्टर को किसी क्षेत्र को मनमाने ढंग से अशांत क्षेत्र घोषित करने का अधिकार है, इस अधिनियम की गलत और चुनिंदा व्याख्या है। यह समझना भी अधिनियम की गलत व्याख्या है कि कलेक्टर के पास असंमित शक्तियाँ हैं। ऐसे निष्कर्ष किसी कानूनी दस्तावेज को बिना पूरी जानकारी के पढ़ने का ही परिणाम है। यह अधिनियम एक समय-सीमा के भीतर प्राकृतिक

न्याय के सिद्धांतों को सुनिश्चित करने के लिए एक पूर्ण तंत्र प्रस्तुत करता है। अपील और पुनरीक्षण (रीवीजन) के प्रावधान, भारत के संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों के अनुरूप, समानता और न्याय की गारंटी देते हैं।

विशेष जांच दल (Special Investigation Team) का गठन, अधिनियम 2026 के कार्यान्वयन में औचित्य को और अधिक सुदृढ़ करता है। उसकी भूमिका में सरकार को किसी भी क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित करने से पूर्व राय बनाने में सहायता करना; सक्षम प्राधिकारों के अधिकारों को नियंत्रित, विनियमित, पर्यवेक्षित और मॉनिटर करने तथा राजस्थान के विभिन्न जिलों के संवेदनशील एवं अशांत क्षेत्रों में होने वाले बड़े पैमाने पर पलायन को रोकने का भी प्रयास करता है।

यह अधिनियम 2026 एक ऐसा कानून है, जिसका उद्देश्य भारत के निवासी नागरिकों को राजस्थान में रहने और उधरने की स्वतंत्रता का आनंद लेने के अधिकार की रक्षा करना है; साथ ही, यह उचित प्रतिबंधों के माध्यम से किरायेदारों के अधिकारों को नियंत्रित, विनियमित, पर्यवेक्षित और मॉनिटर करने तथा राजस्थान के विभिन्न जिलों के संवेदनशील एवं अशांत क्षेत्रों में होने वाले बड़े पैमाने पर पलायन को रोकने का भी प्रयास करता है।

–सूर्यप्रतापसिंह राजawat,
अधिक्वता, राजस्थान उच्च न्यायालय

राशिकल मंगलवार 17 मार्च, 2026	
चैत्र मास, कृष्ण पक्ष, त्रयोदशी तिथि, मंगलवार, विक्रम संवत् 2082, शतभिषा नक्षत्र बुधवार प्रातः 6:09 तक, सिद्ध योग प्रातः 8:15 तक, वणिज करण प्रातः 9:23 तक, चन्द्रमा आज कुम्भ राशि में संचार करेगा।	
गृह स्थिति: सूर्य-मीन, चन्द्रमा-कुम्भ, मंगल-कुम्भ, बुध-कुम्भ, गुरू-मिथुन, शुक्र-मीन, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह	
आज भद्रा प्रातः 9:23 से 8:55 तक है। आज मास शिवरात्री, पंचक, वारूणी पर्व प्रातः 9:23 तक है। आज शबे कदर (मु.) है।	
श्रेष्ठ चौघड़िया: चर 9:37 से 11:06 तक, लाभ-अमृत 11:06 से 2:05 तक, शुभ 3:34 से 5:03 तक। राहूकाल: 3:00 से 4:30 तक। सूर्योदय 6:36, सूर्यास्त 6:33	

	मेष
	सिंह
	वृष
	मिथुन
	कर्क
	वृश्चिक
	तुला
	कुंभ
	मकर
	धनु
	मे़ष

	मेष
	सिंह
	वृष
	मिथुन
	कर्क
	वृश्चिक
	तुला
	कुंभ
	मकर
	धनु
	मे़ष

	मेष
	सिंह
	वृष
	मिथुन
	कर्क
	वृश्चिक
	तुला
	कुंभ
	मकर
	धनु
	मे़ष